—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 181/2023

उनवान

1. रामलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास
2. नौरतमल पुत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास समस्त जाति खाती निवासी ग्राम तिहारी,, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री सीतारात रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

2. काना पुत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास
3. सत्यनारायण पुत्र छोटू पौत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास
4. रूपनारायण पुत्र छोटू पौत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास
5. रामप्रसाद पुत्र छोटू पौत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास
6. मिलाप पुत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास
7. मिठठनलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ रामविलास समस्त जाति खाती निवासी ग्राम तिहारी,, नसीराबाद

———— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 2 से 7 अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 10.1.25.

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 5250 रकबा 0.27 व 5254 रकबा 0.80 की आराजी मूल खातेदार मांगीलाल उर्फ रामविलास पुत्र चन्द्रा के नाम दर्ज है। मांगीलाल उर्फ रामविलास की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ही है। ग्राम तिहारी के खाता संख्या 347/495 में वादी के पिता का नाम मांगीलाला सही होने से विरासत दर्ज की गयी किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादी के पिता का नाम रामविलास होने के कारण विरासत दर्ज नही की गयी। जबकि चन्द्रा के वारिस रामविलास व माांगीलाल एक ही व्यक्ति है। अतः आराजी मुतनाजा की खातेदारी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज [illegible] जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के [illegible] गया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:46:21 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण का कथन है कि ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 5250 रकबा 0.27 व 5254 रकबा 0.80 की आराजी मूल खातेदार रामविलास पुत्र चन्द्रा के नाम दर्ज है। मांगीलाल उर्फ रामविलास की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ही है। ग्राम तिहारी के खाता संख्या 347/495 में वादी के पिता का नाम मांगीलाला सही होने से विरासत दर्ज की गयी किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादी के पिता का नाम रामविलास होने के कारण विरासत दर्ज नही की गयी। जबकि चन्द्रा के वारिस रामविलास व मांगीलाल एक ही व्यक्ति है। उक्त आराजी के वंकिग खसरा नमबर 3268 व 3270 बने है जो वंर्किग जमाबंदी के खात संख्या 817/779 में भी रामविलास पुत्र चन्द्रा 1/8 हिस्सा व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में गेर खातेदारी थी, जो नामानतकरण संख्या 243 दिनांक 17.6.92 से खातेदारी दर्ज हुयी। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें आराजी मुतनाजा में वादीगण के पिता का नाम मांगीलाल दर्ज हो उक्त आराजी रामविलास पुत्र चन्द्रा को आवंटित हुयी है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का आचवंटन पत्र व अन्य आवंटन दस्तावेज भी पेश नही किये हैं। आराजी मुतनाजा पूव्र राजस्व अभिलेख के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में भी रामविलास पुत्र चन्द्रा के नाम ही दर्ज हैं बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को ही दोहराया गया है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। अतः वादीगण खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 5250 रकबा 0.27 व 5254 रकबा 0.80 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामलाल बनाम राज. सरकार

दावा बावत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 181/2023
पेश करने की दिनांक – 04.12.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 5250 रकबा 0.27 व 5254 रकबा 0.80 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 1 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:21 IST
Reason: SelfAttested